<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 8/21 GCMS NO 2021/19

1. रामभरोसीं
2. देवीलाल
3. हुकम सिह पिसरान मूल्या जातियान मीना निवासीयान खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 41/20 निर्णय दिनांक 4.2.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री अशोक नीमनका

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 20.6.2025

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 4.2.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम खिरखिडी स्थित आराजी ख0न0 1059/0.19,1061/0.07,874/1116/0.27,961/0.19,962/0.29 कुल किता 5 कुल रकबा 1.01 है0 जो कि प्रार्थी न0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा खसरा न0 1057/1 रकबा 0.11, 1062/0.10 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 है0 भी प्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज है। आराजी ख0न0 1057/0.32,1063/0.08 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 जो कि प्रार्थी न0 2 व 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 1061/1115/0.11, 874/0.30, 960/0.37 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है0 जो कि प्रार्थी न0 2 व 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 1058 रकबा 0.13 है0 प्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 1060 रकबा 0.35 है जो कि राज्य सरकार के नाम दर्ज है। साबिक खसरा न0 573 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा से खसरा न0 1061/0.07, 1062/0.10, 1063/0.08,1061/1115/0.11 नवीन खसरा न0 बने है। साबिक खसरा न0 574 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा से ख0न0 1059/0.19, 1057/0.32,1057/1/0.11 बने है। साबिक खसरा न0 527 रकबा 10 विस्वा से 1058/0.13 है0 बने है। साबिक खसरा न0 569 मिन रकबा 3 बीघा 2 विस्वा से 1060 रकबा [illegible] बने है। प्रार्थीगण की आराजी साबिक ख0न0 573 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा तथा 574 रकबा [illegible] बीघा 9 बिस्वा , 527 रकबा 10 विस्वा से नवीन ख0न0 बनाते समय रकबा [illegible] लेकिन नक्शा शीट [illegible] रकबा कम कर दिया जबकि मौके पर प्रार्थीगण अपने रकबे पर का[illegible] है। खसरा न0 10[illegible] [illegible]बा 0.35

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:56 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है0 राज्य सरकार के नाम दर्ज है। जो प्रार्थीगण की आराजी के सामने है। जिसका साबिक ख0न0 569 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा से सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा अंकित किया है। जबकि साबिक सीट मे ख0न0 569 को एक स्थान पर डिमार्केशन किया है तथा नक्शा सीट से मिलान करने पर भिन्नता प्राईमाफेसी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रार्थीगण सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है लेकिन अप्रार्थीगण कुछ सामाजिक तत्वो के बहकावे मे आकर प्रार्थीगण को अपनी आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि सायलान अपनी पर पूर्वानुसार बुजुर्गो के समय से ही काबिज है। प्रार्थीगण की साबिक आराजी ख0न0 1058 रकबा 0.13 है0 गैर मुमकिन चाह स्थित है जो साबिक ख0न0 527 रकबा 10 विस्वा से बना है। उक्त निर्मित चाह को गैर सायल न0 1 के आदेशानुसार ख0न0 1059 मे मानकर सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी मे सरकारी आराजी को शामिल करना अंकित किया है। इससे भली प्रकार साबित है कि मौजूदा सीट साबिक सीट से भिन्न है। इस प्रकार अप्रार्थीगण इस गैरकानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 1061,1062,1063,1061/1115,1059,1057, 1057/1, 1058 पर साबिक सीट के मुताबिक काबिज स्थान से सायलान को बेदखल नही करे। ऐसा कार्य नही करे जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश परिस्थितियो के विपरीत व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा न0 1060 रकबा 35 ऐयर की खातेदारी राज्य सरकार के नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकित फरमाते हुए उक्त ख0न0 1060 मे अपीलांट की भूमि को शाामिल कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि नवीन एवं साबिक रिकार्ड के अवलोकन मात्र से होती है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया जाकर कानून भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट की और से अधिनस्थ न्यायालय मे रिकार्ड के संशोधन बाबत वाद दायर किया है एवं अपीलांट अपने रकबे पर साबिक रिकार्ड के अनुसार बजमाने बुजुर्गान से काबिज दखील है। रेस्पो0 अपीलांट को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी सूरत मे यदि रेस्पो0 अपनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो सायलान अपीलांटस के दावा दायरी के मकसद ही फौत हो जावेगे। ऐसी सूरत मे वाद विषय को सुरक्षित रखा जाना अधिनस्थ न्यायालय का नैसर्गिक जिम्ममेदारी है। जिसे नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं रेस्पो0 द्वारा भी अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है एवं अपीलांटस का उक्त कब्जा बजमाने बुजुर्गान से होना अपने वाद पत्र मे अंकित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दस्तावेजी साक्ष्य भी अपने वाद पत्र के समर्थन मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसे नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेंस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 1061,1062,1063,1061/1115,1059,1057, 1057/1, 1058 स्थित ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम पर साबिक सीट के मुताबिक काबिज स्थान से अपीलांट को बेदखल नही करे रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खिरखिडी की भूमि 1059/0.19,1061/0.07,874/1116/0.27,961/0.19,962/0.29 कुल किता 5 कुल रकबा 1.01 है0 खसरा न0 1057/1 रकबा 0.11, 1062/0.10 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 है0 रामभरोसी पुत्र मूल्या के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 1058 रकबा 0.13 हुकुम सिह,देवीलाल, पिसरान गोकल हिस्सा 1/2 रामभरोसी पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 जाति मीना निवासी खिरखिडी के नाम दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2043 से 62 के मुताबिक साबिक ख0न0 573 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा से नवीन ख0न0 1061/0.07, 1062/0.10, 1063/0.08,1061/1115/0.11 नवीन खसरा न0 बने है। साबिक खसरा न0 574 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा से ख0न0 1059/0.19, 1057/0.32,1057/1/0.11 बने है। साबिक खसरा न0 527 रकबा 10 विस्वा से 1058/0.13 है0 साबिक रिकार्ड के अनुसार सही बनाये गये है। अपीलांट का सम्पूर्ण रकबे पर काबिज काश्त है। साबिक सीट व वर्तमान सीट के मिलान मे दोनो सीटो मे कोई भिन्नता नही है। साबिक रिकार्ड के अनुसार रकबा सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट/प्रार्थीगण के पक्ष मे नही माना है इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार ही खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात का सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन नम्बर कायम किये जाकर साबिक के मुकाबले रकबा तो पूर्ण कर दिया गया परन्तु नक्शा शीट मे रकबा कम किये जाने के कारण अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है उसके साथ ही हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट/प्रार्थीगण को बेदखल नही करने की इस्तदुआ चाही गई थी। विवादित आराजीयात के बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमे तय होना है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा सीट मे रकबा कम किया गया है या नही ? अपीलांट का कथन [illegible] अपीलांटस द्वारा आवासीय मकान बना रखा है यदि रेस्पो0 द्वारा उसे अतिक्रमण मानकर अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। वादग्रस्त आराजीयात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इन्द्राजात बाबत दुरूस्ती का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट को बेदखल किया जाता है तो अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद पत्र का कोई औचित्य ही नही रहेगा। इस प्रकार यदि दौराने दावा अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। उक्त विवेचन से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 41/20 मे पारित निर्णय दिनांक 4.2.21 को अपास्त किया जाता है। रेस्पो0 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अपीलांटगण को आराजी ख0न0 1061,1062,1063,1061/1115,1059,1057,1057/1, 1058 वाके ग्राम खिरखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली से साबिक सीट के मुताबिक काबिज स्थान से बेदखल नही करे।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:56 IST
Reason: SelfAttested